न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :—144 / 2022

1. रोहितासकुमार एवं करणीदान पि0 बृजलाल जाति कुम्हार निवासी 6 केवाईडी
..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला वगैरह
.... अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :— 23.01.23

—: आदेश:—

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीगण के नाम से चक 6 केवाईडी ए मु0नं0 196 / 20,27,28 में 15.10 बीघा भूमि है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.22 को हल्का पटवारी द्वारा पेमाईस भी करवा ली गई है। मगर अप्रार्थी खेत पड़ौसी सुनीलकुमार व मोहनलाल रेगर पटवारी द्वारा दी गई निशानदेही पर सिंवट नहीं निकालने दे रहे है इसलिए प्रार्थी चाहता है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने अथवा पुनः पटवार हल्का को आदेशित कर मेरी सींवट निकलवाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को तलवी नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी निर्मलाकुमारी, सुनिल, अमीत की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम तेतरवाल हाजिर आये और अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया एवं शेष अप्रार्थीगण (राकेशकुमार, शिवचन्द, छगनलाल, सुमति, स्वेता, रुपलाल) हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट अनुसार चक 6 केवाईडी ए मु0नं0 196 / 20,27,28 का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 14—15 दिनांक 06.05.2022 द्वारा किया गया जिसमें हल्का पटवारी ने बताया की उक्त रकबे की सीमाज्ञान किया गया व मौके पर सभी लोग की गयी कार्यवाही से संतुष्ट पाये गये है। प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार प्रार्थी को अप्रार्थी सींवट नहीं निकालने दे रहे है। सीमाज्ञान से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक / भू0अ0 / 2022 / 1905 दिनांक 22.08.22 द्वारा प्राप्त हुई। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से मुरब्बा नं0 मु0नं0 196/20,27,28 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह मु0नं0 196/20,27,28 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)